U.P.STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

TC / 46 – V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

Unit :- SE Office, JHANSI

Notice Inviting E-Tender

Tender Notice No.: 02 /SE/Jhansi Mandal/Orai/E-TENDER/2026-27 Dated: 14/05/2026

1- U.P. State construction and Infrastructure Development Corporation, **Jhansi** invites in 2 bids system online tenders on Percentage rate bids from eligible and registered contractors of UP State construction and Infrastructure Development Corporation Ltd./registered in "C" or above class. Bidders are advised to note the minimum criteria.

S. N.	Name of work	Estimated Cost (Rs. In lacs)	Earnest Money (Rs. In lacs)	Cost of Bid Document in Rs.	Time of Completion (in months	Address of sale of tenders	Place of submission of tender
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction of Community Hall at Vill. Jagammanpur, Block-Rampura (Distt.Jalaun) under Scheme Ekikrit Vikas Yojana	50,01,492.00	1,00,500.00	2360.00	08 Months	To be downloaded from the e-tender portal of nic "e-tender.up.nic.in"	SE Office JHANSI

2- The contractors who fulfil the following requirements shall be eligible to apply.

i) Should have successfully completed similar works during the last Seven years ending 31st March 2025, as a prime contractor satisfying either of the following.

a) Three similar completed works each costing not less than 40% of Tendered cost.

Or

b) Two similar completed works each costing not less than 60% of Tendered cost.

Or

c) One similar completed work costing not less than 80% of Tendered cost.

d) B.E./B.Tech (Civil) and Equivalent Holder can be applied without experience certificate

Note: - One completed work of similar nature (either part of (i) or separate one) costing not less than the amount equal to mentioned above of the estimated cost put to tender with some Central Government Department/State Government Department/Central Autonomous Body/Central or State Public Sector undertaking. Work experience Certificate issued by Executive Engineer/ Project manager or equivalent officer will be valid.

ii) Should have an average annual financial turnover of 50% of estimated cost on construction work of similar nature during last three years, ending 31st March 2025 (copy of certificate from C.A. to be submitted)

iii) Should not have incurred any loss in more than One year during the last three years. Solvency certificate from Banker or District Magistrate to be submitted.

iv) information regarding projects in hand, current litigation, orders regarding exclusion, expulsion. T&P, List of Staff, Blood Relation or black listing, if any should be indicated.

3- The bids shall remain valid for acceptance for a period of 90 (ninety) days from the last date of submission of bids.

4- Bidders shall uploaded two separate covers marked "technical bid" and fee in PDF format and "financial bid" in cover "b" in Excel format.

5- Financial bids shall be opened of those bidder whose bids are technically qualified E.M.D. properly uploaded and found eligible. Scanned copy of E.M.D/Tender fee to be uploaded with technical bid. **In financial bid, rates shall be quoted by contractor Exclusive of taxes (GST as applicable shall be paid extra) Please refer para.16.8.03 of Special Condition of Contract.**

6- A set of Bidding documents may be downloaded from e-tender portal of NIC as mentioned in column-7 between dated mentioned in tender input form section 'F' (critical dates).

7- Bid will be uploaded on e-tender portal of NIC on dates mention in section 'F' and the technical bids will be opened on 22/05/26 at 02:00 PM, in the office of Superintending Engineer, and the name of qualified bidders shall be uploaded to portal, the financial bids shall be opened on dated mentioned in section 'F' and name of successful bidder shall be uploaded and displayed.

8- Bids must be accompanied with tender fee of the amount specified for the work. The tender fee must be deposited online/RTGS in bank account of **U.P. State construction and Infrastructure Development Corporation Ltd, Or UPSCIDCO Ltd. payable at Orai.** The intending bidders has to upload the copy of Transaction detail on NIC Portal. Bank account detail's as follows:

Bank A/C No.- 10460100012548
Name of Bank- Bank of Baroda
Branch- Orai
IFSC code- BARBOORAIXX

9- Bids must be accompanied with earnest money of the amount specified for the work. The Earnest Money must be deposited online/RTGS in bank account of **U.P. State construction and Infrastructure Development Corporation Ltd, Or UPSCIDCO Ltd. payable at Orai.** The intending bidders has to upload the copy of Transaction detail on NIC Portal. Bank account detail's as follows:

Bank A/C No.- 10460100012548
Name of Bank- Bank of Baroda
Branch- Orai
IFSC code- BARBOORAIXX

10- No Engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the state/Central Government is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from government service, without Government permission. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

11- Any bidder who is having criminal record is not allowed to participate in the bidding process.

12- Any bidder who is registered with the state Bar council is not allowed to participate in the bidding process.

13- Bidding document's general conditions of contract can be seen with tender document.

14- Joint Venture are not Permitted.

15- The right to cancel the tender will be reserved with the Superintending Engineer Jhansi.

16- The Tenderer Will have to Upload the Item wise work Plan (Bar Chart) to Complete the work with in Eight month along with the tender.

17- It is Mandatory for the bidders to upload of following documents to participate in the tender. Registration Certificate, GST no, PAN No, Registered labour Cess Certificate, Character Certificate, Solvency Certificate, Experience Certificate, Factual Item wise work plan (Bar Chart), EPF Certificate, ESIC Certificate, Detail of ongoing work and Existing work, Litigation History (as per Attached Format), Machinery & Tools details, List of Engineers and Qualification with mark sheet and Certificates, Blood relation Affidavit, Residence and Correspondance Address proof copy, Bid Validity (notarized Affidavit), Bid Capacity, Income tax Return (last 3 years), Balance sheet Certified CA Certificate (last 3 years), Partnership Deed with Notarized Signing Authority Letter (If firm in Partnership), Self Declaration and Engineer's Self Declaration. Carried out of "A" Class Electrical Licence and Consent Letter To be uploaded by "A" Grade Electrical Licence Holder.

18- Conditional, Incomplete and Unreadable Tender will not Considered,

19- Tender with higher rates will not be considered.

20- The “A” Class Licence (Contractor) Registered with electric Safety departmentwill have to give an affidavit on stamp rs 10.00 to the effect that if any deficiency is noticed in the work for Two years after the Hand over the work then it will be rectified by him.

21- The successful bidder will have to submit 5% performance guarantee of the tendered cost in the form of bank guarantee or FDR/DD of nationalized bank/Scheduled bank (HDFC/ICICI/AXIS BANK).

If the rates quoted by the bidder is bellow the BOQ, additional security will have to be deposited with reference to G.O. No. 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C. -2 Dt. 08-06-2012 of UPPWD-Anubhag-12, as per following:-

(a) 0.50% per 1.00% bellow up to 10%, bellow of BOQ.

(b) 1.00% per 1.00% bellow, above 10%, bellow of BOQ.

Interested bidders can download the e-tender document & conditions form e-tender Portal of Govt. of Uttar Pradesh i.e. http:/etender.up.nic.in. The bid shall be submitted online using a valid Digital Signature Certificate. No other mode of submission is permitted. Bidders are advised to attend the pre-bid meeting.

Note:- Any addendum of corrigendum or any other update shall be available on http:/e-tender.up.nic.in. Therefore Bidder's are requested to refer to the e-tender portal from time to time for any addendum/corrigendum/other updated regarding the e-tender.

UPSCIDCO JHANSI

U.P.STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
TC / 46 – V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

Superintending Engineer Office, Jhansi Mandal

Notice Inviting E-TENDER

Name of Work : **Construction of Community Hall at Vill. Jagammanpur, Block-Rampura (Distt.Jalaun) under Scheme Ekikrit Vikas Yojana**

Tender Fee : 2360.00

Earnest Money : 1,00,500.00

Tender Value : 50,01,492.00

S. No.	Description	Date	Time
1	Tender Publish Date	15/05/26	11:00 AM
2	Document download/Sale state date	15/05/26	11:00 AM
3	Seek Clearification Start Date	15/05/26	11:00 AM
4	Seek Clearification End Date	22/05/26	01:00 PM
5	Online bid submssion Start Date	15/05/26	11:00 AM
6	Online bid submssion Closing Date	22/05/26	01:30 PM
7	Bid Opening Date	22/05/26	02:00 PM
8	Place of Opening Bid	JHANSI	

U.P. STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP. LTD.

UPSCIDCO JHANSI

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0,
झॉसी मण्डल (उत्तर प्रदेष)
(पूर्ववर्ती नाम – उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)
पंजीकृत कार्यालय – टी.सी. 46/वी, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
E-Mail:-upscidcojhansi@gmail.com
GSTIN – 09AACU1932C9ZH

NIT No : 02 /SE/Jhansi Mandal/Orai/ E-Tender /2026-27 DATE : 14/05/2026

ई–निविदा आमंत्रण सूचना हेतु नियम एवं शर्ते

कार्य का नाम – **Construction of Community Hall at Vill. Jagammanpur, Block-Rampura (Distt.Jalaun) under Scheme Ekikrit Vikas Yojana**

1. निविदादाता को यू0पी0सिडको में रजिस्टर्ड **"सी" श्रेणी एव "सी" श्रेणी से उच्च श्रेणी** में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
2. निविदादाता को निविदा मूल्य की लागत के कार्य का 80 प्रतिशत का एक, 60 प्रतिशत के दो एवं 40 प्रतिशत के तीन कार्यों का विगत 7 वर्षों में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं से भवन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव के रूप में कार्य से *सम्बन्धित कार्यादेश* की प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबंधक या समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा।
3. फर्म/ठेकेदार द्वारा वर्ष **2022–23, 2023–24 एवं 2024–25** में निविदा मूल्य की लागत के कार्य का 50 प्रतिशत औसत से अधिक टर्न ओवर होना चाहिए। इसके साक्ष्य के रूप में टर्न ओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा जो कि चार्टेड एकाउण्टेण्ट (सी0ए0) से प्रमाणित होना चाहिए।
4. निविदादाता को Similar Work का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. विगत तीन वर्षो की आयकर रिटर्न, बैलेन्स शीट सी0ए0 सर्टिफिकेट (प्रमाणित प्रति) वर्षवार टर्नओवर सहित निविदा के साथ अपलोड की जानी है। **फर्म विगत दो वर्षों में लाभ की स्थिति में होनी चाहिए।**
6. तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाता फर्मों की ही फाइनेंशियल बिड खोली जायेगी।
7. निविदादाता को कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा, कार्य न करने की दशा में धरोहर राशि (Earnest Money) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. विद्युत कार्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से लेने का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।
9. विद्युत कार्य विद्युत सुरक्षा विभाग में पंजीकृत "क" क्लास लाइसेंसधारी (ठेकेदार) द्वारा या उनके पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। जो यह प्रमाण–पत्र देगा कि विद्युत कार्य मेरे पर्यवेक्षण में कराया गया है एवं रू0 10.00 के स्टाम्प पर इस आषय का षपथ– प्रत्र देना होगा कि निर्माण कार्य हस्तांतरित होने के उपरान्त 02 वर्षो तक विद्युत के कार्यो में कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण उनके द्वारा करा दिया जायेगा।
10. निविदादाता को हार्टीकल्चर कार्यों के पेड–पौधों की देख–भाल/पौधों की कटिंग एक माह तक करना अनिवार्य होगा तथा सभी पेड़–पौधें स्वस्थ स्थिति में देने होंगे।
11. *निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0सिडको झॉसी मण्डल का होगा।*
12. **निविदादाता को टेण्डर फीस एवं धरोहर धनराशि (Earnest Money) खाते में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति/यू0टी0आर0 नं0 निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।**
13. यदि निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित निविदादाताओं द्वारा मूल अभिलेख मांगे जाने पर नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं तो शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में काली सूची में डालने एवं एफ0आई0आर0 की कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों (स्व–हस्ताक्षरित) की साफ्ट कॉपी पी0डी0एफ0 फाईल के द्वारा अपलोड करनी होगी।

15. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनाँक से 08 माह में पूर्ण करना होगा।
16. ग्राहक विभाग से कार्य की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात ही एल0ओ0आई0 निर्गत की जायेगी तथा निविदादाता को भुगतान ग्राहक विभाग द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि तक ही किया जायेगा, अग्रिम भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
17. निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रॉयल्टी भुगतान की रसीद (प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र) बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त् खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रॉयल्टी की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेब साईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैद्य/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती की धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रॉयल्टी खनिज विभाग को जमा कर दी जोयगी।
18. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
19. निविदा खोलने की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण की जायेगी।
    1. प्रथम–जमा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि (Earnest Money) की पुष्टि की जायेगी तथा निविदादाताओं की तकनीकी बिड़ में अपलोड प्रपत्रों की निविदानुसार जाँच की जायेगी तथा सफल निविदादाताओं की सूची बनाते हुये प्राईस बिड खोलने हेतु संस्तुति की जायेगी।
    2. द्वितीय–तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड तय दिनाँक एवं समय को खोली जायेगी तथा न्यूनतम दर निविदादाता को एल0ओ0आई0 उपर्युक्त वर्णित मूल प्रपत्र एवं उनकी प्रति/हस्ताक्षरित छायाप्रति इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जायेगा।
20. ठेकेदार के द्वारा दरें निविदा के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वाटिंटी में प्रतिषत पर ही कोट कर अपलोड करनी होगी, NIT में उल्लेखित आइटम स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित है।
21. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत परफारमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। जो बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा।
22. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती है तो शासनादेश सं0 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt. 08.06.2012 of UPPWD-Anubhag 12 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी :–

(i) 0.50% per 1.00% below up to 10% below of BOQ.

(ii) 1.00% per 1.00% below, above 10% below of BOQ.

23. सशर्त एवं अपूर्ण निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता
यू0पी0सिडको,
झाँसी मण्डल

मैंने उपरोक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आधार पर मैं कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की विशेष शर्तें

1. निविदा प्रपत्र बेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देख सकते है। निविदा डाउनलोड एवं अपलोड भी इसी बेबसाइट से किया जायेगा। इच्छुक निगम में पंजीकृत सप्लायर्स/ठेकेदार नियमित रूप से उक्त बेबसाईट का संज्ञान लेते रहे, क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में परिवर्तन अथवा अन्य सूचना बेबसाईट पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि 90 दिन तक मान्य होगी।
3. सक्षम अधिकारी को निविदा बिना कारण बतायें, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु रू0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निविदा की नियम व शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करना होगा व अनुबन्धित लागत की 5 प्रतिशत धनराशि हेतु ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 परफॉरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा करना होगा जोकि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के 6 माह पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्य में सामग्री की मात्रा अनुबन्ध की मात्रा से आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है किन्तु अधिक होने पर साइट इंजीनियर इंचार्ज की अनुमति आश्वयक होगी।
6. निर्धारित समयावधि में यदि निविदादाता आपूर्ति/कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो निगम निविदा में भागीदार किसी अन्य फर्म जिसने निविदा शर्तों का पालन किया हो से निर्माण कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा, उक्त पर यदि अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया जाना होगा तो उसे प्रथम निविदा दाता की जमानत धनराशि से किया जायेगा।
7. निविदादाता को को ई–प्रकाशन व अनुबन्ध में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा।
8. निविदादाता के निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय भू–माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गातिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इससे किसी भी क्षति की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
9. फर्म को जारी कार्य आवंटन पत्र एवं अनुबन्ध के आधार पर सम्बन्धित कार्य के विषय में कार्यस्थल की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगी।
10. फर्म द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/ उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जाँच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।
11. फर्म द्वारा समस्त निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं समय–समय पर निगम द्वारा जारी किये गये निर्देशों के द्वारा अनुमोदित, विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेगें।
12. केन्द्रीय/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा। निर्माण सामग्रियों के नमूनों को निगम के अधिकारियों से अनुमोदित कराने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जायेगा। निगम द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति फर्म के बिल से की जायेगी। किसी सामग्री के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने, नयी सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व फर्म का होगा। किये गये कार्य जाँच में अधोमानक पाये जाने पर उसे तोड़कर पुनः करना होगा। यदि कोई कटौती होती है तो उसका भुगतान फर्म के बिल से ही किया जायेगा।
13. फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यों को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जाँच टी0ए0सी0 अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यों/सामग्री में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान फर्म को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जाँच के फलस्वरूप निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति फर्म के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम

UPSCIDCO JHANSI

द्वारा की जायेगी। फर्म के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व फर्म का होगा। जिसकी वसूली फर्म के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

14. फर्म द्वारा लेबर मद हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण कराते हुए समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान, बीमा,स्वास्थ्य,चिकित्सा,सुरक्षा आवासीय व्यवस्था की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु, दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा फर्म द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण–पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ होने से निर्मित भवन के हस्तानान्तरित होने तक वैद्य रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15. फर्म द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम, बल श्रम, उन्मूलन अधिनियम, एम्पलॉयर्स लायबिलिटि ऐक्ट, वर्कमैन्त, कम्पन्सेशन ऐक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मेटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, कान्ट्रैक्टर लेबर रेगूलेशन एण्ड एबॉलीशन एक्ट, फैक्ट्री ऐक्ट, जी0एस0टी0 अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा किसी अधिनियम में किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

16. यदि फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु फर्म उत्तरदायी होगी तथा वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी, की प्रतिपूर्ति फर्म के अवशेष बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

17. यदि निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में आवंटित कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्तें लागू की जाती है तो सम्बन्धित फर्म उनके अनुपालन हेतु बाध्य होंगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

18. निर्माण कार्य के दौरान फर्म को होने वाली किसी प्रकार की क्षति के लिए निगम का कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नहीं होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो फर्म द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

19. सम्बन्धित फर्म द्वारा निगम के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन/निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

20. निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि,दुर्घटना, दंगो अथवा प्राकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिये फर्म उत्तरदायी होगा एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा फर्म द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दशा में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति को फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।

21. निगम द्वारा फर्म को उपलब्ध करायी गयी बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की औचित्यपूर्ण स्थिति में धनराशि प्राप्त/उपलब्ध होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान फर्म को किया जायेगा।

22. यदि किसी जॉच के द्वारा निगम के सक्षम अधिकारी के स्तर से कोई कटौती आदेश जारी किया जायेगा तो फर्म को किये जाने वाले भुगतान से समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।

23. निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने, निर्माण कार्य के शेड्यूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।

24. किसी प्रकार के विवाद की दशा में निगम द्वारा नामित आर्बीट्रटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीट्रटर को देय मानदेय, शुल्क का वहन सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा। आर्बीट्रटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु फर्म पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

25. निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रॉयल्टी भुगतान की रसीद **(प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र)** बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रॉयल्टी का 6 गुना की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेबसाईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रॉयल्टी का धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

26. बिल ऑफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य का सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु अतिरिक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य जो कि बिल ऑफ क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है, उनको भी सम्बन्धित फर्म के द्वारा कराया जायेगा व जिनका भुगतान लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों इनमें उपलब्ध न होने की दशा में बाजार दरों पर दर विश्लेषण करते हुए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

27. फर्म द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादितकराकर आने वाले व्यय की वसूली फर्म की जमा सिक्योरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।

28. यदि कोई ऐसा कार्य/सामग्री आपूर्ति करायी जाती है जिसकी दर उपलब्ध करायी गयी बिल ऑफ क्वांटिटी में नहीं है, ऐसे मदों का भुगतान लो0नि0वि0 एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (डी.एस.आर.) वर्तमान में प्रभावी/स्वीकृत दरों पर 5 प्रतिशत कम करके किया जायेगा। इन दोनों में दर उपलब्ध न होने पर वास्तविक बाजार दरों पर विश्लेषण करके किया जायेगा।

29. निर्धारित अवधि (फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये बार चार्ट के अनुसार) में कार्य पूर्ण न करने पर 1.00 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर विलम्ब शुल्क (अधिकतम 5.00 प्रतिशत) के रूप में कटौती की जायेगी।

30. आर0सी0सी0 कार्यों में स्टील अथवा प्लाई की शटरिंग लिंटल, सनशेड जैसे कार्यों में शटरिंग निर्धारित अवधि में खोले जाने पर ही इसका भुगतान किया जायेगा परन्तु छत व उसकी बीम की स्थिति में शटरिंग कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण हो जाने पर 60 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है। 30 प्रतिशत भुगतान शटरिंग खुलने पर शेष 10 प्रतिशत भुगतान फिनिशिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा।

31. कार्य पूर्ण होने के 7 दिन के अन्दर फर्म को अपना समस्त टी0 एण्ड पी0, शटरिंग आदि साइट से हटाना होगा व साइट को पूर्ण रूप साथ सुथरा कराना होगा। इसके पश्चात ही अंतिम बिल का भुगतान किया जायेगा। परन्तु यदि कार्य पूर्ण है व हस्तान्तरण हेतु तैयार है तो ग्राहक विभाग द्वारा हस्तान्तरित लेने के पश्चात ही अंतिम बिल का भुगतान किया जायेगा। साफ–सफाई हेतु अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

32. **एल0ओ0आई0 निर्गत होने के पश्चात् निविदादाता के द्वारा कार्य का पंजीकरण श्रम कार्यालय, ललितपुर में कराकर भुगतान से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ अपलोड की गयी श्रम विभाग की षर्तो का अनुपालन करना सुनिषिचित करे।**

33. विद्युत कार्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग तथा फायर फाईटिंग कार्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभाग से लेने का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।

34. विद्युत कार्य विद्युत सुरक्षा विभाग में पंजीकृत "क" क्लास लाइसेंसधारी (ठेकेदार) द्वारा या उनके पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। जो यह प्रमाण–पत्र देगा कि विद्युत कार्य मेरे पर्यवेक्षण में कराया गया है।

35. बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने एवं निविदा की तिथि बढ़ाये जाने आदि का पूर्ण अधिकार निगम का होगा।

36. निर्माण स्थल पर निर्माण व लेबर हेतु विद्युत व जल की व्यवस्था निविदादाता को अपने व्यय पर स्वयं वहन करना होगा, जिसका अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

37. भुगतान की शर्तें–

1. कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण होने पर।
2. कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण होने पर।
3. कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण होने पर।
4. कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण होने पर।

38. निविदादाता के द्वारा एल0ओ0आई निर्गत होने के पश्चात कार्य को 08 माह में पूर्ण किया जाना होगा।

39. निविदादाता को कार्य का भुगतान कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जायेगा तथा प्रत्येक बिल से 5 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि काटी जायेगी।

40. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

41. निविदा में अनावश्यक रूप से संलग्न प्रपत्रों को पत्रावली में संकलित नहीं किया जायेगा।

42. निविदादाता को दी गयी दरों पर ही कार्य करना होगा, यदि दरों में किसी प्रकार की वृद्वि होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सरकार द्वारा टैक्स में कोई परिवर्तन होने पर भुगतान निगम द्वारा तद्‌नुसार जायेगा।

43. बिलो से आयकर/अन्य किसी प्रकार के कर जो नियमानुसार लागू हो, की कटौती की जायेगी तथा विभाग द्वारा ही जमा किया जायेगा।

44. निविदादाता को भुगतान धन की उपलब्धता पर किया जायेगा, अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

45. जी0एस0टी0 भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

46. निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत अनिवार्य प्रपत्र आनलाईन अपलोड किये जायेगें। उन प्रपत्रों की हार्ड कॉपी, मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी।

47. अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

48. निविदादाताओं को चाहिये कि वह निविदा की शर्तों को ध्यान से पढ़ते हुये कार्यस्थल की समस्त जानकारी लेकर अपनी दरों को दें क्योंकि निविदा अवधि में दी गयी दरों को बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।

49. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। जो बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शेड्‌यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा।

50. यदि ग्राहक विभाग एवं निगम के मध्य निष्पादित अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है अथवा ग्राहक विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत आदेश दिये जाते है तो उक्त अनुबन्ध/निर्देश अनुबन्ध के पार्ट होगें तथा इस अनुबन्ध के साथ पढ़े जायेगें।

51. कार्य की अनुमोदित निविदा के समस्त टेण्डर प्रपत्र, एन0आई0टी0, जनरल कंडीषन ऑफ कांट्रक्ट, विशिष्टियाँ, बी0ओ0क्यू0, ड्रांइग/प्लान, कार्य पूर्ण करने का शिड्‌यूल लेटर ऑफ एक्सैप्टेन्स इस अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

52. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती हैं तो शासनादेश सं0 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt. 08.06.2012 of UPPWD- Anubhag 12 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में नियमानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्‌यूल बैंक IDBI/HDFC/ ICICI के रूप में जमा करानी होगी :–

(i) 0.50% per 1.00% below up to 10% below of BOQ.

(ii) 1.00% per 1.00% below, above 10% below of BOQ.

53. न्यायालय सम्बन्धी किसी भी प्रकार के वाद का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

54. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी द्वारा मेडीकल कॉलेज, झाँसी में विद्युत उपकरणो के कारण हुये अग्निकांड को संज्ञान में लेते हुये निर्देष दिये गये है कि भवन में विद्युत कार्य/उपकरणो के कारण

यदि 02 वर्ष तक कोई अप्रिय घटना होती है तो कार्य कराने वाली ''क'' श्रेणी विद्युत लायसेन्सधारी फर्म की जिम्मेदारी होगी।

अधीक्षण अभियन्ता
यू0पी0सिडको,
झाँसी मण्डल

मैंने उपरोक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आधार पर मैं कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP. LTD.
यूपीसिडको
UPSCIDCO JHANSI

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH CHAUDHARY
Date: 2026.05.13 23:51:03 PDT
Location: Uttar Pradesh-UP